रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 1994/ज्येष्ठ 12, 1916
No. 235] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 1994/JYAISTHA 12, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सं. 26/94—सीमाशुल्क (एन. टी.)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 1994

सा. का. नि. 486()अ.—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 56/92 सीमाशुल्क (एन. टी.) तारीख 31 जुलाई, 1992 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में की सारणी में क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तंभ (2) में मद संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"7. सीमाशुल्क कलक्टर (निवारक), लखनऊ"

[फा. सं. 437/6/94-सीमा-IV]
जे. पी सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—

मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 31 जुलाई, 1992 (सा. का. नि. सं. 695(अ) में अधिसूचना सं. 56/92-सीमाशुल्क (एन. टी.), तारीख 31 जुलाई, 1992 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और बाद में इसे अधिसूचना संख्या 47/93 सीमाशुल्क (एन. टी.) तारीख 24-9-93 [सा. का. नि. 624(अ), तारीख 24-9-93] द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
No. 26/94-CUSTOMS(N.T.)
New Delhi, the 2nd June, 1994

G.S.R. 486(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 56/92-Customs (N.T.), dated, the 31st July, 1992, namely :—

In the said notification, in the Table, against serial number 1, in column (2), after item number 6 and entry relating thereto, the following item number and entry shall be added, namely :—

"7. Collector of Customs (Preventive), Lucknow."

[F. No. 437/6/94-CUS.IV]
J. P. SINGH, Under Secy.

Note : The Principal notification was published vide notification No. 56/92-CUSTOMS (N.T.), dated, the 31st July, 1992, [GSR 695(E), dated, the 31st July, 1992], in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 31st July, 1992 and subsequently amended by notification No. 47/93-Customs (N.T.), dated 24-9-93 [GSR 624(E), dated 24-9-93].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994